



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

अस्थायी शैक्षणिक खंड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176206

फा. सं.: डीएसडब्ल्यू/1-6/हि.प्र.के.वि./14/

दिनांक :20.09.2016

अधिसूचना

1. विश्वविद्यालय में 11 विभिन्न स्कूलों के अंतर्गत 22 विभाग कार्य कर रहे हैं। इनमें से 20 विभाग स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों को चलाते हुए पूर्णतः कार्यरत हैं (वर्तमान में सांख्यिकी एवं बीमांकिक विज्ञानविभाग में कोई विद्यार्थी नहीं है)।
2. स्कूलों के विभिन्न विभागों के अध्ययन कार्यक्रमों में नामांकित स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान डिग्री के विद्यार्थी संख्या में समरूप नहीं हैं। अध्यादेश सं. 45-3(क) के प्रावधानों के अनुसार 20 नामित और 20 निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध स्लॉट की संख्या को नामांकित विद्यार्थियों के अनुपात में विभिन्न स्कूलों में वितरित किया जाएगा। हि.प्र.के.वि. के अध्यादेश सं. 45-5 (ख) के प्रावधान के अनुसार जहां दो स्कूलों, जिन्हें निर्वाचन के लिए कम से कम एक-एक स्लॉट और नामांकन के लिए एक-एक स्लॉट के आवंटन के लिए इकट्ठा किया गया है, वहां जिस स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी, उस स्कूल के अधिष्ठाता दोनों स्कूलों के लिए निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी होंगे। चूंकि ललित कला स्कूल और शिक्षा स्कूल को इस उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया गया है, शिक्षा स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अधिष्ठाता शिक्षा स्कूल इन दोनों स्कूलों के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे।
3. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2016-17 से जन संचार तथा वित्तीय एवं विपणन सेवाओं में वी.वोक. कोर्स प्रारंभ किया गया है। अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम"के अनुसार विभिन्न स्कूलों के मध्य समानुपात के आधार पर सीट आवंटित कर छात्र परिषद का निर्वाचन और नामांकन किया जाना है। वी.वोक. कोर्सों के लिए कोई अलग स्कूल का निर्धारण नहीं किया गया है। दो स्कूलों नामतः पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल के अंतर्गत 'जन संचार में वी.वोक. कोर्स' और व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल के अंतर्गत 'वित्तीय एवं विपणन सेवाओं में वी.वोक. कोर्स' में कुल 47 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम" का अनुपालन करते हुए विद्यार्थी परिषद के निर्वाचन के उद्देश्य से वी.वोक. कोर्सों में पंजीकृत विद्यार्थियों को इन दो स्कूलों में जिनमें इन विद्यार्थियों का नामांकन है, शामिल किया गया है। इसके अलावा, 'गुर्जर इतिहास एवं संस्कृति में सर्टिफिकेट कोर्स' में पंजीकृत दो विद्यार्थी अन्य स्कूलों के अनुसंधान (आरडी) कार्यक्रम में भी पंजीकृत हैं, अतः इन्हें उनके स्कूलों में अलग से शामिल नहीं किया गया है।

विभिन्न स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों, विभिन्न स्कूलों से नामित किए जाने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न स्कूलों से निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का विवरण इस प्रकार है:

स्कूल	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	नामित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या
व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल (200)+वी.वोक (19)	219	4	4
पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल	74	1	1
मानविकी एवं भाषा स्कूल	141	3	3
पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल(72)+वी.वोक (28)	100	2	2
जैविक विज्ञान स्कूल	70	1	1
गणित, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल	154	3	3
भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल	130	2	2
समाज विज्ञान स्कूल	125	2	2
पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल	64	1	1
शिक्षा स्कूल (19) + ललित कला स्कूल (01)	20	1	1
कुल	1097	20	20

4. अध्यादेश 45-5(क) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्कूलों के अधिष्ठाता विद्यार्थी परिषद के निर्वाचन के लिए जिम्मेवार होंगे और संबंधित स्कूलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी भी होंगे।
5. लिंगदोह समिति रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद से निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी।

विद्यार्थी परिषद के निर्वाचन की विस्तृत समय-सारिणी इस प्रकार है :

अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए विद्यार्थी परिषद की सदस्यता हेतु निर्वाचन समय-सारिणी			
क्र.सं.	कार्य	समय एवं तिथि	दिन
1.	निर्वाचन के लिए अधिसूचना का जारी होना	20.09.2016, प्रातः 10:00 बजे	मंगलवार
2.	स्कूलवार मतदाता (नामांकित विद्यार्थी) सूची का लगाया जाना	20.09.2016, सायं 03:00 बजे	मंगलवार
3.	मतदाता सूची में संशोधन के लिए निवेदन की प्राप्ति	21.09.2016 दोपहर 01:00 बजे	बुधवार
4.	स्कूलवार अंतिम मतदाता सूची को लगाया जाना	21.09.2016 सायं 05:00 बजे	बुधवार
5.	नामांकन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	22.09.2016, दोपहर 12:00 बजे से	गुरुवार
6.	नामांकन भरने की अंतिम तिथि	22.09.2016, सायं 05:00 बजे तक	गुरुवार
7.	नामांकन पत्रों का परीक्षण	23.09.2016, दोपहर 12:00 बजे से	शुक्रवार
8.	स्कूलवार उम्मीदवारों की सूची को लगाया जाना	23.09.2016, सायं 05:00 बजे	शुक्रवार
9.	नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	24.09.2016, (कार्य सप्ताह: मंगलवार से शनिवार) दोपहर 12:00 बजे 26.09.2016, (कार्य सप्ताह: सोमवार से शुक्रवार) दोपहर 12:00 बजे	शनिवार सोमवार
10.	स्कूलवार उम्मीदवारों की अंतिम सूची	24.09.2016, (कार्य सप्ताह: मंगलवार से शनिवार) सायं 03:00 बजे 26.09.2016, (कार्य सप्ताह: सोमवार से शुक्रवार) सायं 03:00 बजे	शनिवार सोमवार
11.	चुनाव प्रचार का प्रारंभ	24.09.2016, (कार्य सप्ताह: मंगलवार से शनिवार) सायं 03:00 बजे से 26.09.2016, (कार्य सप्ताह: सोमवार से शुक्रवार) सायं 03:00 बजे से	शनिवार सोमवार
12.	चुनाव प्रचार बंद होने की तिथि एवं समय	27.09.2016, सायं 05:00 बजे तक	मंगलवार
13.	मतदान के प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि व समय	28.09.2016, प्रातः 09:00 से दोपहर 01:00 बजे तक	बुधवार
14.	मतों की गणना	28.09.2016, दोपहर 02:00 से 04:30 बजे तक	बुधवार
15.	परिणामों की घोषणा	28.09.2016, सायं 05:00 बजे	बुधवार
16.	निर्वाचित उम्मीदवारों की अधिसूचना	29.09.2015, पूर्वाह्न 10:00 बजे	गुरुवार

6. सभी विद्यार्थियों द्वारा **अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम"** में दी गई आचार-संहिता का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आचार-संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर हि.प्र.के.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रति :

- नोटिस बोर्ड (टैब एवं दोनों छात्रावास)
- विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों के सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक – कृपया सूचनार्थ एवं इस संबंध में आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए।
- छात्रावासों के वार्डनों को – कृपया सूचनार्थ।
- कुलानुशासक, हि.प्र.के.वि. – कृपया सूचनार्थ।
- कुलसचिव, हि.प्र.के.वि. – कृपया सूचनार्थ।
- वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि. – कृपया सूचनार्थ।
- माननीय प्रति-कुलपति के निजी सहायक – कृपया माननीय प्रति-कुलपति, हि.प्र.के.वि. के सूचनार्थ।
- माननीय कुलपति के निजी सचिव – कृपया माननीय कुलपति महोदय, हि.प्र.के.वि. के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण